मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक : 19 जुलाई, 2018

क्रमांक एफ-3-18(5-2)/2018/29-2(4)- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-18(5-2)/2018/29-2(1) दिनांक, 19 जुलाई, 2018 द्वारा भारत सरकार ने "End to End Computerization of TPDS Operations" की Plan Scheme (E2E) एवं अन्य कम्प्यूटरीकरण कार्य सफल क्रियान्वयन के लिए Project Management Unit (PMU) का गठन किया गया है।

2 उक्त आदेश की अनुसूची-एक में विभिन्न माड्यूल के Functional Requirement Specification (FRS) विकसित करने के लिए राज्य शासन एतद् द्वारा PMU की Sub Committee के रूप में निम्नांकित Subject Matter Expert Unit (SMEU) का गठन करता है :-

क्र.	पदनाम	विवरण	टिप्पणी
1	SMEU Head	अध्यक्ष	SPeMT अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक Deliverable के लिए नामांकित
2	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ –1	e-uparjan, FPS Automation	PMU की विभागीय विषयवस्तु इकाई का सदस्य क्र. 21
3	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ –2	e-uparjan, CSMS	PMU की विभागीय विषयवस्तु इकाई का सदस्य क्र. 22
4	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ –3	e-uparjan, WMS	PMU की विभागीय विषयवस्तु इकाई का सदस्य क्र. 23
5	विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ -4	वित्तीय एवं लेखा	PMU की विभागीय विषयवस्तु इकाई का सदस्य क्र. 24
6	सिस्टम-बिजनेस एनालिस्ट -1	Consultant	PMU की तकनीकी इकाई के सदस्य क्र. 12, 13 एवं 14
7	सिस्टम-बिजनेस एनालिस्ट -2	Consultant	
8	सिस्टम-बिजनेस एनालिस्ट -3	Consultant	
9	Team Lead (PMU)	Convener	PMU की प्रबंधकीय इकाई के सदस्य क्र. 05

3 SME Unit की प्रमुख भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

3.1. SME Unit द्वारा प्रथम बैठक में कार्यकारी निर्देश जिसमें काम करने की प्रक्रिया एवं उत्तदायित्वों को तैयार कर उसकी स्वीकृति आदेश PMU से जारी करायेगी।

3.2. Functional Requirement Specification (FRS) को लिखने के लिए सामान्य Templates एवं Mandatory शर्तें Circulate करेगी।

3.3. PMU द्वारा दी गई समय सीमा में कार्य समाप्त करने हेतु कार्यों का बंटवारा एवं SME के नाम सहित Micro-Schedule जारी करेगी जिसमें Automation कार्य को System-Business analyst तथा विभागीय विषयवस्तु विशेषज्ञ को Functional Requirement Specification (FRS) के रूप में विकसित करने के लिए Process, Templates एवं समय सीमा भी होगी।

3.4. System-Business analyst एवं विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा विभागों से परामर्श कर FRS मय Business Process Re-Engineering (BPR) डॉक्यूमेंट तैयार कर SME Unit को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

3.5. SME Unit बैठक में विमर्श कर सहमति के उपरांत FRS को तकनीकी समिति (TC) को प्रेषित करते हुए SSDU को Documentation एवं Development के लिए भेजेगा।

3.6. SME Unit, Software Solutions Developments units (SSDU) द्वारा विकसित Software की User Acceptance Testing की vetting करेगा।

3.7. PMU द्वारा समय-समय पर Central Process Library एवं दस्तावेजीकरण सम्बन्धी निर्धारित किए गए अन्य कार्य किया जाना।

4 SMEU द्वारा कार्य को समय-सीमा में करने हेतु साप्ताहिक बैठकें की जावेंगी तथा आवश्यकता होने पर परिभ्रमण में भी सहमति दी जा सकेगी। SMEU द्वारा बैठकों के रिकार्ड नोट्स जारी करने की व्यवस्था मय e-trail बनाने के साथ रखी जायेगी।

5 SMEU Vetting / FRS करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर PMU के अनुमोदन से Field Visit कर जानकारी एकत्रित कर सकेगी जिसका व्यय E2E योजना में परियोजित होगा।

6 SMEU के अन्य कार्यकारी निर्देश सलाह के उपरांत PMU के द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मदनकुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ.क्रमांक एफ-3-18(5-2)/2018/29-2(1) **भोपाल, दिनांक:19 जुलाई, 2018**

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश एजेंसी प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भोपाल।
8. महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल।
9. नियंत्रक, नाप-तौल, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग